झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. झारखण्ड अधिनियम-16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम-3, 2011 की धारा-3 की उपधारा-(क) एवं (ख) का प्रतिस्थापन ।
4. झारखण्ड अधिनियम-16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम-3, 2011 की धारा-4 (i) का प्रतिस्थापन ।
5. झारखण्ड अधिनियम-16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम-3, 2011 की धारा-5 का प्रतिस्थापन ।
6. झारखण्ड अधिनियम-16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम-3, 2011 की धारा-9 का प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम–3, 2011) में संशोधन के लिए विधेयक।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम–3, 2011) में संशोधन के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ** :– जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में –

(क) "कैलेण्डर वर्ष" से अभिप्रेत है किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से इकतीस दिसम्बर तक की अवधि।

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011

3. **झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम–3, 2011 की धारा–3 की उपधारा – (क) एवं (ख) का प्रतिस्थापन** :– अधिनियम की धारा–3 की उपधारा–(क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :

आयोग का गठन

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :–

(क) अध्यक्ष – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के सुपर टाईम स्केल से अन्यून पंक्ति के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी।

सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति में उनकी पेंशन राशि घटाकर अंतिम वेतन देय होगा।

(ख) सदस्य – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रूपये पे. बैंड–IV 37400–67000/– ग्रेड पे–8700 (अथवा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा/सभी समकक्ष सरकारी सेवा/शैक्षणिक क्षेत्र के दो पदाधिकारी।

सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति में उनकी पेंशन राशि घटाकर अंतिम वेतन देय होगा।

अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात् पूर्ववत प्राप्त होंगी।

4. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम–3, 2011 की धारा–4 (i) का प्रतिस्थापन।

अधिनियम की धारा 4 (i) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल

(i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से सामान्यतः पांच वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे। किन्तु यदि सेवारत पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो उनका कार्यकाल अगले आदेश तक होगा। यदि इसी बीच सेवानिवृत्ति की तिथि आती है तो उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगा। तथापि राज्य सरकार द्वारा उन्हें पुनः इन पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

यदि सेवानिवृत्त पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो वे अधिकतम पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो पहले हो, तक कार्यरत रह सकेंगे।

5. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम–3, 2011 की धारा–5 का प्रतिस्थापन।

अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी

सेवा/संवर्ग/पद, जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगा –

(i) आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/ प्रावैधिक/ अप्रावैधिक सेवाओं/ संवर्गों के पदों, जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिनका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

परन्तु इन वर्गों के जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्ति होने वाले पद एवं पुलिस, अग्निशमन एवं गृह रक्षा के वर्दीधारी पद राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर रहेंगे।

(ii) उपर्युक्त कुछ भी अन्तर्विष्ट होने के बावजूद राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी सेवा/संवर्ग/पद, की नियुक्ति हेतु अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा/संवर्ग/पद की नियुक्ति हेतु अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकती है जिसपर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुशंसा होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है।

6. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम–3, 2011 की धारा–9 का प्रतिस्थापन :– धारा 9 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में विभाग की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ii) आयोग को यह अधिकार होगा कि परीक्षाओं का संचालन स्वयं अथवा वाह्य स्त्रोत से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से करा सकेगा।

—

यह विधेयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 51--50--12-9-2011 ।